


# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सांविध/अवैध जमाबंदी एवं अभिलेख सं० १५१/२०१९-१९

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जांच एवं जांचवाही से


संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्त
18.3.19	<p>झारखंड सरकार के आदेश सं०-2074/रा० दिनांक-13.06.2016</p> <p>सहपत्रित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० सं० नि०-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पत्रित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मीजा <u>अनाबाद</u> मीजा नं०- <u>12</u> खाता नं० <u>142</u></p> <p>प्लॉट नं० <u>164.186</u> रकबा <u>2.20.150</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या <u>02</u> के पृष्ठ संख्या <u>244</u> पर जमाबंदी रकम <u>2951.15</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कौडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>1.4.19</u> को रखे।</p>	

  
18-3-19  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

1.4.19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतलब / प्रतिवेदन जमावा है।  
अभिलेख दिनांक 18.4.19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

15/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक के निर्वाचन कार्य में जमावा रखने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 29/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतलब सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक  
29/6/20 को रखे।


  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा  
कीर्वाकान्हा मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट  
नं० 164, 186 रकबा 2.20 Hms भूमि से संबंधित है। आवंटित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रयत  
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवंटित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० 1625 (11) 90-91 के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।

  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।